राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी–स्कीम, जयपुर 302005
दूरभाष नं0 0141–2226722, वेबसाईट www.cmar-india.org ई–मेल: dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ 2(घ)(निल.)आरएमएस–जांच/डीएलबी/18/853 दिनांक : 03/04/2018

आदेश

पुलिस अधीक्षक–प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब/अशा/3/434–36 दिनांक 15.03.18 के अनुसार श्री किशनलाल कुमावत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, नावां सिटी अतिरिक्त चार्ज नगर पालिका मण्डल, कुचामन सिटी जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री विजय कुमार निवासी व्यास कालोनी, नावां सिटी से रू. 2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये) की मांग कर उक्त राशि प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर द्वारा दिनांक 14.03.18 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा कर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। ब्यूरो द्वारा इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 59/2018 पंजीबद्ध की गयी है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चूंकि श्री किशनलाल कुमावत 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा इनके निलम्बन एवं मुख्यालय परिवर्तन हेतु की गयी अनुशंषा दि. 14.03.18 को दृष्टिगत रखते हुए, कार्मिक(क–3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157)कार्मिक/क–3/97 जयपुर, दिनांक 07 जुलाई, 2010 में दिये गये निर्देशों एवं राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री किशन लाल कुमावत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नावां सिटी अतिरिक्त चार्ज नगर पालिका, कुचामन सिटी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लेने की दिनांक 14.03.18 से ही एतद् द्वारा निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इनका मुख्यालय निदेशालय में रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका, नावां से किया जावेगा।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ 2(घ)(निल.)आरएमएस–जांच/डीएलबी/18/854–867 दिनांक :03/04/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. जिला कलेक्टर, नागौर।
4. पुलिस अधीक्षक–प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भ्रनिब/अशा/3/434–36 दिनांक 15.03.18 के क्रम में प्रेषित है।
5. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
6. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मण्डल, नावां/कुचामनसिटी।
7. श्री किशनलाल कुमावत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नावां।
8. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
9. उप निदेशक–आईटी, निदेशालय को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. संस्थापन अनुभाग–आरएमएस–निदेशालय ।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त निदेशक

Scanned by CamScanner